

**कार्यालय,  
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
छत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

सम्बन्ध दिनांक: 15-5-2019

-कार्यालय द्वारा-

अधिसूचित संख्याओं की शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2018-20 हेतु किलोवा राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं को अनुसूचन प्रदान किए जाने को उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 संख्याओं से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अधिसूचित प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 संख्याओं की अधिसूचना में परिषद कार्यालय में पेटक संपन्न हुई। पेटक में सत्र 2018-20 हेतु अधिसूचित संख्याओं की सम्बद्धता/पूर्व से संबंधित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2018-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक को संद-11 में पूर्व से सम्बद्ध दिवसीय इन इन्टींग पाठ्यक्रम संघर्षित करने वाली संस्था का प्रचलन रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा पाल विचार-विषयों का निम्नानु निर्णय किया गया :-

\* परिषद से पूर्व से सम्बद्ध ऐसी संस्था जिसने पाठ्यक्रम विस्तार हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 को आवेदन किया गया था, एवं ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2018-20 हेतु पाठ्यक्रम विस्तार के संबंध में अनुसूचन प्रदान किया गया है, के संबंध में विचार करना एवं निर्णय लेना -

आत निम्नानुसार संघर्षित संस्था को परिषद की निर्दिष्ट समिति एवं विषय-विशेषज्ञ द्वारा की गयी अनुसूचि तथा सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के अन्तर्गत पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 संख्याओं द्वारा सत्र 2018-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसकी अधिसूचित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था संकेत	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/बी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2018-19 में अनुसूचित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2018-20 में अनुसूचित प्रवेश क्षमता
1	1842	विशालिका इन्टी ग्रेजुएट कॉलेज, रायचूर, (विशेष) मध्य	विशालिका इन्टी ग्रेजुएट कॉलेज सम्बद्धता सत्र 199 इन्टी ग्रेजुएट कॉलेज विशालिका इन्टी ग्रेजुएट कॉलेज विशालिका इन्टी ग्रेजुएट कॉलेज विशालिका इन्टी ग्रेजुएट कॉलेज विशालिका इन्टी ग्रेजुएट कॉलेज विशालिका इन्टी ग्रेजुएट कॉलेज विशालिका इन्टी ग्रेजुएट कॉलेज विशालिका इन्टी ग्रेजुएट कॉलेज विशालिका इन्टी ग्रेजुएट कॉलेज विशालिका इन्टी ग्रेजुएट कॉलेज विशालिका इन्टी ग्रेजुएट कॉलेज विशालिका इन्टी ग्रेजुएट कॉलेज विशालिका इन्टी ग्रेजुएट कॉलेज विशालिका इन्टी ग्रेजुएट कॉलेज	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

**संख्याओं हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982 तथा अन्य निर्धारित विषयों एवं अधिसूचि का अनुपालन करेगी तथा सुपुत्र निर्वहन समिति द्वारा निर्धारित सुपुत्र की संख्या इन्टी ग्रेजुएट कॉलेज हेतु ₹20,00,000/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यवाही पाठ्यक्रम हेतु ₹20,00,000/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यवाही पाठ्यक्रम की अधिसूचि) हेतु ₹20,00,000 प्रतिवर्ष सुपुत्र की प्रत्येक शर्त/शर्तों से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त की अधिसूचित शर्त/शर्तों से सुपुत्र की संख्या में अंतर संस्था पर लागू द्वारा निर्धारित किये जाने वाले आवाजबंदी प्रणाली द्वारा, और उपरोक्त कार्यवाही किया जाने आवश्यक होगा। नीचे निर्धारित

- समिति द्वारा यदि वर्ष 2019-20 हेतु जीए का पुनर्विचार किया जाता है, तो पीएस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (राज्य) प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उच्च समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमबद्धी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित परीक्षाओं को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों की शिक्षा का जाने की स्थिति में उच्चतर प्रवेश सामान को निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्दिष्ट राजस्वों के अनुमान विवरण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करवाये जायेंगे।
- ✓ संस्था को (राज्य) प्राथमिक शिक्षा समितियों को सामान्य रूप से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उच्चतर प्रवेश सामान द्वारा बनाये गये विधि/विधियों/अधिनियमों/सालान्देशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उच्चतर समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद, राज्य द्वारा बनाये गये विधियों, विधियों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने की शर्तें रखी जायेंगी।
- ✓ विधायक एवं सामाजिक कार्यकर्ता की संख्या यदि दो-तीन-चार हिली तो अनुमोदन प्राप्त करने में आवश्यक नहीं है तो इस संख्या में सामान्य कार्यवाही संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उच्चतर प्रवेश सामान को लागू कर देकर किया जाता है तथा दोसर बात के संबंध में यह आश्वासन प्राप्त किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी प्रवेश निर्दिष्ट किया जाता है तो सामान्य प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विधायक एवं सामाजिक कार्यकर्ता संघटित करने वाली संस्थाओं को समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्चतर प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा प्रवेश नहीं के लिए आवश्यक प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यवाही प्राप्त होने के पूर्व पीएस/राज्य के अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को संतुष्ट कराना होगा जिसका उच्चतर प्रवेश की कार्यवाही के कारण के अभाव संस्था को पर सीटें प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उच्चतर प्रवेश संस्कार द्वारा प्रवेश हेतु निर्दिष्ट नवीनतम आश्वासन निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संस्था सुसज्ज-पैरो संस्था की दृष्टिकोण सुविधियों, स्टाफ, मान-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, आश्वासन शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रवर्धन हेतु समुदाय परीक्षा परिषद उच्चतर प्रवेश करने की शर्तें निर्दिष्ट कराने के सम्बन्ध में सामान्य आवश्यक आवश्यक सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संघटित कार्यवाही को चलाने वाले हेतु निर्दिष्ट समिति के संस्था उपलब्ध कराने एवं अधिनियम, सुविधा-मूल, कर्मचारी, सम्बन्धन इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था कार्यवाही का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उच्चतर संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धित करने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किया जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विधानसभा अनुसूचित/अनुसूचित/अनुसूचित कार्यवाही की जायेगी।


 91  
 (राजीव कुमार सिंह)  
 सीएम

क्रमांक- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2019/1133-2282

तारीख दिनांक 19-8-2019

प्रतिनिधि-उपान्तक/निदेशक, विद्येय/राज्य इन्स्टी ऑफ पालीटेक्निक, राहवा, जीपीओ नगर।


 91  
 (राजीव कुमार सिंह)  
 सीएम

**कार्यालय,  
राष्ट्रिय प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या- प्राथिन/परिषद/सम्बद्धता/2020/1071

तख्तनाम- दिनांक 14-9-2020

- कार्यालय द्वारा -

अभिन्न भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली / प्राचीन काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2020-21 हेतु विदेशी भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के तुरंत बाद प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार की सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में परिषद द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अर्थात् नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश समता दृष्टि लक्षित सभी पर विचार करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने वाले का निर्णय किया गया।

उक्त को अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के बाद-2 में विदेशी इन इंजीनियरिंग/पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्ण से सम्बद्धता संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा पहल विचार-विमर्श का विभागात् निर्णय किया गया :-

निजी क्षेत्र में संचालित विदेशी इन इंजीनियरिंग/पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विदेशी भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थाएँ, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में एम्पाई/सीटीआई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु सफल अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में एम्पाई/सीटीआई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनमें नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश समता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर परिषद द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं एम्पाई/सीटीआई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

दिनांक 14-09-2020 को उत्तर प्रदेश सम्बद्धता समिति की बैठक में सिधे गये तुरंतगत निर्णय को अनुक्रम में नीचे संख्या को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2020-21 हेतु विचारविमर्श करने के लिये पाठ्यक्रम एवं प्रवेश-अंकित प्रेषण समता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	संस्था का नाम	संस्था का नाम	एम्पाई/सीटीआई/ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता
1	प्राचीन भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	प्राचीन भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	XX	XX
		राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	XX	XX
		राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	XX	XX
		राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	XX	XX
		राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	XX	XX
		राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	XX	XX
		राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	XX	XX
		राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	XX	XX
		राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	XX	XX
		राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	XX	XX
		राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	XX	XX
		राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	XX	XX

सम्बद्धता हेतु नहीं

✓ संस्था एम्पाई/सीटीआई/ सीटीआई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

- ✓ राज्य द्वारा प्रेषित प्रतिबिम्ब शिक्षा परिषद वर्ष 1992 तथा प्रतिबिम्ब शिक्षा परिषद विधिवत्प्राप्ती 1992, विधिवत् विनियमन-2014 तथा अन्य निर्दिष्ट नियम एवं आदेशों का अनुपालन करना तथा मुख्य विद्यार्थी अधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क वीस वरीय प्रवेश परीक्षा परीक्षकको हेतु 50 00,100.00/- प्रतिवर्ष, दो वरीय कॉलेजी परीक्षण हेतु 50- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वरीय परीक्षणको (दो वरीय कॉलेजी परीक्षण में प्रतिवर्ष) हेतु 50- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक प्रा.प्रा.प्रा. से प्राप्त किया जायेगा; उपरोक्त के प्रतिबिम्ब प्रा.प्रा.प्रा.ओं से शुल्क की राशियां में समक-समक पर समक द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाले सहायक प्रा.प्रा.प्रा. हेतु और अनुसूचित वर्गीयों की शिक्षा अलग व्यवस्था होगा। वीस विद्यार्थी अधिकारी द्वारा यदि वर्ष 2020-21 हेतु वीस का पुनर्निर्माण किया जाता है तो वीस की व्यवस्था ही अनुसूचित।
- ✓ राज्य को 10000 प्रतिवर्ष शिक्षा परिषदों तथा उन अधिकारियों, राजस्वों को सम्बद्ध किया जाये विनियमन-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ राज्य में अनुसूचित प्रेषित परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित परीक्षाओं की प्रेषित किया जायेगा। शर्तों के तहत वह उन्हें की शिक्षा में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रेषित की व्यवस्था की जायेगी।
- ✓ राज्य को समक-समक पर निर्दिष्ट सहायकों के अनुसार नियुक्ति एवं सम्बद्धता शुल्क प्राप्त करना होगा।
- ✓ राज्य को 200000/वीस/विद्यार्थी/वर्ष से अग्रणी प्राप्त हेतु अनुसूचित प्राप्त किया जाये व्यवस्था होगा।
- ✓ राज्य द्वारा प्रेषित समक द्वारा कलर्स एवं विधि/विश्व/अभियोग/सहायकों/निर्देशों एवं विवेक, प्रतिबिम्ब शिक्षा 10000, अनुसूचित प्रेषित परीक्षा परिषद, 10000 तथा प्रतिबिम्ब शिक्षा परिषद, 10000 द्वारा भरणे में निम्नलिखित, निम्नलिखित, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।
- ✓ विद्यार्थी द्वारा कॉलेजी परीक्षण की सहायक यदि वे सी.एच. एवं विद्यार्थी से अनुसूचित प्राप्त करने में व्यवस्था नहीं है तो इस राज्य में समक उपरोक्तियुक्त समक का होगा और विधिगत रूप से शिक्षा की कार्यवाही के लिए समक का परामर्श होगी। प्रतिबिम्ब शिक्षा परिषद, अनुसूचित प्रेषित परीक्षा परिषद, प्रतिबिम्ब शिक्षा विद्यार्थी एवं प्रतिबिम्ब शिक्षा विद्यार्थी द्वारा प्रेषित समक को कोई भी कार्य प्राप्त किया जाये है तथा प्रेषित-अप. के समक में या परामर्श द्वारा किसी प्रकार की अनियुक्ति कभी आदेश निर्दिष्ट किया जाता है तो समक अनियुक्ति समक सम्बद्ध की जाती होगी।
- ✓ विद्यार्थी द्वारा कॉलेजी परीक्षण संघर्षित करने वाली राजस्वों को अनुसूचित प्रेषित परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कलर्स एवं के लिए अनुसूचित प्रेषित परीक्षा हेतु अनुसूचित प्राप्त करने की पूर्ण विद्यार्थी/वर्षों से अनुसूचित प्राप्त का परीक्षा आयोजन को प्रत्येक करना होगा अथवा उन्हें प्रेषित की (कार्यनिर्दिष्ट के सम्बद्ध की व्यवस्था समक एवं पर सीधे प्रेषित) अनुसूचित नहीं प्रेषित की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु निर्दिष्ट महानाम आयोजन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ राज्य को अपने वेबसाइट पर राज्य की समक सुचनाएं जैसे समक की एडमिशन सुविधाएं, सहा. सहा.समक, सहायक, जमा किया जाने वाला शुल्क, आयोजन शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ राज्य को शिक्षा-अभियोग हेतु परामर्श सहायक सहायक कलर्स को कार्य हेतु वीस वीस के समक में समक व्यवस्था परामर्श सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ राज्य का पुनर्निर्माण हो तो कि समक में अग्रणी/सहायक परीक्षण को कलर्स एवं हेतु निर्दिष्ट अधिकारी के समक व्यवस्था कलर्स एवं अभियोग, भूमि-सहा. परीक्षा, सहायक इत्यादि का यदि समक द्वारा किसी अन्य परीक्षण को आयोजन में प्रेषित किया जाये है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि समक परामर्श का प्रेषित किसी अन्य कलर्स के लिए कर रही है तो समक समक की सम्बद्धता समक किये जाने की अनुरोध की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का पालन किये जाने को शिक्षा में निम्नानुसार अनुसूचितसमक कार्यवाही की जायेगी।

(का अग्रणी शिक्षा)  
सचिव

सूचना- प्रतिबिम्ब/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1872-2141

तारीख- 15-08-2020

प्रतिबिम्ब- अग्रणी/निर्देश, विद्यार्थी द्वारा वीस वीस प्रतिबिम्ब, सहा-सहा, अग्रणी, सहा. वीस, वीस/वर्ष।

(का अग्रणी शिक्षा)  
सचिव

**कार्यालय,****सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

**:-कार्यालय ज्ञापन:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरंत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दानों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
4	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
5	FASHION DESIGNING & GARMET TECHNOLOGY	60	60
6	P.G.DIPLOMA IN BEAUTY AND HEALTH CARE	60	60
7	P.G.DIPLOMA IN ADVERTISING AND PUBLIC RELATION	60	60
8	INDUSTRIAL SAFETY	60	60
9	MODERN OFFICE MANAGEMENT AND SECRETERIAL PRACTICE	60	60
10	DIPLOMA IN MASS COMMUNICATION	60	60
11	P.G.DIPLOMA IN FASHION TECHNOLOGY	60	60

1/3

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

2/3

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, VISHVSARIA INSTITUTE OF POLYTECHNIC VILLAGE-BEEL, AKBARPUR,DADRI, GAUTAM BUDDH NAGAR-203207



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव